

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 156/2022

उनवान

किशन पिता मोतीया निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

- (1) खेमजी उर्फ खेमराज पिता देवजी उर्फ देवकृष्ण निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (2) देवजी उर्फ देवकृष्ण पिता कलजी निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (3) छगनलाल पिता वारजी निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (4) मनोज पिता देवकृष्ण निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (5) शान्तिलाल पिता भलिया निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (6) तहसीलदार, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

प्रतिवादीगण:—

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 06.7.2023

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका खाता संख्या 201 नया व पुराना 265 का खसरा संख्या 2116/1846 रकबा 0.06 हैक्टर वाके ग्राम गामडी नारायण में स्थित होकर वर्षों से शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर कृषि काश्त करता आ रहा है। उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर वादी की जमीन को हडपने एवं खुर्द—बुर्द करने के उद्देश्य से वादी को सूचना दिये बिना उक्त खसरा नम्बर पर अवैद्य तरिक से रास्ता बनाना चाहते हैं। जबकि उक्त प्रतिवादीगणों को आने—जाने वाले कच्चा रास्ता है जिस पर उक्त लोगों का आना—जाना और वाहनों का आना—जाना होता है। लेकिन प्रतिवादीगणों न आपसी मिलीभगत कर उक्त वादी की निजी कृषि भूमि पर रास्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिये प्रतिवादीगणों न आपसी मिलीभगत कर वादी की बहु सीता पत्नी किशनलाल भील की कब्जाशुदा जमीन जिसका खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.08 हेक्टर में रास्ता बनाने के लिये आज से करीब 1 माह पूर्व 0.01 हैक्टर वा मु रास्ता के नाम से नामान्तरण करवा लिया है। तथा वादीगो द्वारा करिब सत्तर सत्तर आधा और जबरन रास्ता खोलने एवं जान से मारने की धमकिया सुनने स बाद करण उत्पन्न हुआ। उक्त प्रतिवादीगणों ने जहां रास्ता बनाने के लिये आमादा हुए है वहां पर पूर्व में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है और ना ही पूर्व में कोई रास्ता था प्रतिवादीगणों का

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी जिला बांसवाड़ा


आने-जाने के लिये पूर्व मुख्य माईनर के पास से करीब 20 फीट का रास्ता है जिस पर प्रतिवादीगण कई वर्षों से आना-जाना करते हैं तथा उक्त पूर्व में रास्ता है उक्त रास्ता प्रतिवादी खेमजी उर्फ खेमराज के खाते की भूमि खसरा नम्बर 2159/1752, 2166/1856 व 2116/2862 में से गुजर रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण उनके खेतों में से जाने वाले रास्तों को निरस्त कर जबरन वादी की खाते एवं कब्जेशुदा जमीन में से रास्ता निकालना चाहता है तथा वादी की बहु के कब्जेशुदा जमीन 1856 रकबा 0.08 हैक्टर में से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर पटवार मण्डल टिमुरवा के पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर रास्ते हेतु गलत नामान्तरण कर दिया है जबकि पूर्व में वहां कोई रास्ता नहीं होकर कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीगणों के आने-जाने के लिये पहले से कच्चा रास्ता उपलब्ध है तथा उक्त नये रास्ते की घोषणा से पूर्व वादी को किसी प्रकार की सूचना तक नहीं दी तथा ना ही उसे सुना गया है। प्रतिवादी नम्बर 06 तहसीलदार अरथुना द्वारा वादी को हिदायत दी गयी है कि दो दिन में मय पुलिस जाबता यहां से नया रास्ता खोला जायेगा कोई धांधली मत करना। जब वादी को उक्त मामला जानकारी में आया तो उसके द्वारा नकल निकालने पर पता चला कि उसके कब्जेशुदा पर पता चला कि उसके कब्जेशुदा जमीन में से 1 हैक्टर भूमि मुख्य रास्ता घोषित कर दिया है तथा वादी की खाते की जमीन में से भी बाकि रास्ता जबरन खोला जायेगा इस प्रकार से प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर जबरन उसके खाते की भूमि में से रास्ता निकालना चाहते हैं जबकि वहां पर पूर्व में कोई रास्ता नहीं है तथा पूर्व में प्रतिवादीगणों का रास्ता बना हुआ है इसलिए उनको उक्त नये रास्ते निर्माण करने एवं जमीन को खुर्द-बुर्द करने से रोकना अति आवश्यक है इसलिए उनको उक्त नये रास्ते का निर्माण करने एवं जमीन को खुर्द-बुर्द करने से रोकना अति आवश्यक है जिसके लिए धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई।

दौराने कार्यवाही वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक ने अवगत कराया कि प्रकरण में माँके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होकर वर्तमान में दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है।

अतः उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.7.2023 को जारी किया गया।

  
(अनुप शर्मा)  
उपरखण्ड अधिकांश  
पटवारी, जिला कृषि  
गढ़ी

6.7.23

पत्रावाही पैरा ६६) व अज्ञात उपस्थिति मूल  
वाट निर्दिष्ट हो चुका है) अतः इस प्रकार  
कारवाही शेष की अज्ञात पत्रावाही के लिए  
सुभाट काट मूल वाट के माध्यम की जा

ई) अतः  
उपरोक्त परिस्थिति  
गदी, जिला सैराबादा